

प्रज्ञासन गांधी के संग अभियान 2021

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) शिवलता

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.


उनवान गोभाराम बनाम शम्भुचन्द्र सुका

दावा बाबत नाम डुरली V/S 88 RTAमुकदमा नम्बर :- 50/2022निर्णय दिनांक :- 20.05.2022

वादी की ओर से लक्ष्मण की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.05.22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वाली एबीकार शिवलता का शहीदता दावा की जा रही है जो नं. 32 00 नं. 21, 22, 30/115 के अन्तर्गत गोविन्द राम द्वारा की गई है। न्याय के गोभाराम द्वारा शिवलता नाम डुरली की जायगी है। तदनुसार यह उम्माउला राज्य के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नाम डुरली के समक्ष में मुकदमा में डिक्री के लिए पेश किया जाएगा।

यह आज तारीख 20.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सत्यनारायण)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चूरु

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



नाम डुरली 865

20.05.2022